न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सुपौल।

SC/ST- 123/2020
SC/ST P.S. Case No. 54/2020

11/07/2023

अभिलेख संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद में सूचक कैलाश राम के द्वारा दिये गए लिखित आवेदन के आधार पर दिनांक 09/09/2020 को अभियुक्तगण 1. बिन्दी मंडल, 2. राजेश मंडल, 3. बेनाय मंडल, 4 इनरजीत मंडल, 5. देवजीत मंडल एवं 6. निरंजन मंडल के विरूद्व धारा 341,323,504,324/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानोंपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा दिनांक 31/10/2021 को प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरूद्व धारा 341,323,504,324/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(S) SC/ST Act के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0 50/2021 समर्पित किया गया।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से आरोप पत्र के कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तों के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही वास्ते अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः आरोप पत्र के कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तगण . बिन्दी मंडल, 2. राजेश मंडल, 3. बेनाय मंडल, 4 इनरजीत मंडल, 5. देवजीत मंडल एवं 6. निरंजन मंडल **के विरूद्व धारा** 341,323,504,324/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(S) SC/ST Act के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति वास्ते सम्मन निर्गत करें। दिनांक 20/09/23 उपस्थिति वास्ते।

Nishi Kant Thakur
11/7/23

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल